

बिन्दु सं०-13

अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार-पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रू० 100000/- लाख तथा कक्षा 9-10 के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय रू० 30000/- निर्धारित है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में पात्रता क्षेत्र के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्ति आते हैं। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा की पात्रता रू० 25546/- तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 19884/- वार्षिक निर्धारित है।